

No.A. 35018/1/2011-Adm.l

भारत सरकार

Government of India विद्युत मंत्रालय

Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 Telephone No. 23715507; FAX No. 23717519

Dated: September 22, 2011.

To

(1) Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India

(2) Chairperson, Central Electricity Authority.

(3) Chairmen/Heads of all Public Sector Undertakings/Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Power.

(4) Chairmen of all the State Electricity Boards/Power Utilities.

- (5) Power Secretaries of all the State Governments/Union Territories.
- (6) Vice Chancellors of all Universities/ Head of all IITs/IIMs.

(7) Chairman, Engineers India Ltd.

(8) Secretary, PESB, New Delhi.

Subject: Appointment to the post of Member (Hydro) in the Central Electricity Authority, on deputation/short-term contract basis – inviting applications for – regarding

Sir.

I am directed to refer to the vacancy circular No.A.35018/1/2011-Adm.I dated 15/4/2011 inviting application for the post of Member (Hydro) in the Central Electricity Authority (CEA), on deputation/short-term contract basis. Applications were called for from persons fulfilling eligibility conditions in terms of the provisions contained in the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005:

- 2. As per the abovementioned Rules, no person shall be eligible for appointment to the office of a Member, including the Chairperson of the Authority unless he has held:
 - (a) the post of Chief Engineer or equivalent in the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (prerevised) [Rs.37400-67000 + Grade pay of Rs.10000 (Revised)] or higher post or scale of pay on a regular basis for at least five years under the Central Government or a State Government;

O

- a post equivalent to that of a post mentioned above, under a State Electricity Board or a semi-Government Organisation or a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body or a Statutory Body or a University or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least five years; and
- (b) The person would also need to possess a minimum of three years' field experience in the relevant field as defined in sub-section (5) of section 70 of the Electricity Act.

- 3. The maximum age limit for appointment to this post was **58 years** on the closing date of receipt of application
- 4. It has now been decided to re-circulate the post of Member (Hydro) in the Central Electricity Authority and applications are invited from the candidates fulfilling the eligibility conditions as mentioned above in paras 2 abd 3 above. In addition, applications can also be submitted by Chief Engineer or equivalent officer who have put in 30 years of total Group 'A' service and 3 years of qualifying service in SAG with the requisite field experience as per para 2(b) above and the maximum age limit of 58 years as mentioned in para 3 above.
- 4. The post of Member in the Central Electricity Authority carries the scale of pay of Rs.22400-525-24500/- (Pre-revised) [Rs.67000-79000 (Revised)] with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India. The incumbent of the post is entitled to other allowances/benefits as per rules of the Central Government.
- 5.. Appointment to the post of Member in the Central Electricity Authority is being made in accordance with the provisions contained in Section 70 of the Electricity Act, 2003 read with the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005.
- 6. Section 70 (5) of the Electricity Act, 2003 provides that the Members of the Authority shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have knowledge of, and adequate experience and capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics or industrial matters, and at least one Member shall be appointed from each of the following categories, namely:
 - engineering with specialization in design, construction, operation and maintenance of generating stations;
 - (b) engineering with specialization in transmission and supply of electricity;

(c) applied research in the field of electricity;

- (d) applied economics, accounting, commerce or finance.
- 7. The duties and responsibilities attached to the post of Member (Hydro), CEA, is given in the Annexure-I.
- 8. The Member shall hold office during the pleasure of the Central Government. Appointment to the post would normally be made for a period of five years, which shall be restricted to the date on which the incumbent of the post attains the age of superannuation. The officer selected will not be eligible for permanent absorption in the CEA..
- The crucial date for determination of eligibility of applicants for the post will be the closing date for receipt of the applications.
- 10. It is requested that the above vacancy may be given wide publicity amongst the eligible candidates and the particulars of the suitable and eligible serving persons who are willing to be considered and whose services can be spared, may please be forwarded in the enclosed Proforma (Annexure-II) (in quadruplicate) together with the following documents/information so as to reach within 30 days from the date of publication of the vacancy in the Employment News/Rozgar Samachar, to the Under Secretary (Admn). Ministry of Power, Room No.26, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001:
 - Attested photocopies of Annual Confidential Reports for the last 5 years.
 - (ii) Vigilance Clearance Certificate & Integrity Certificate (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India.
 - (iii) Whether any penalty has been imposed on the applicant in the last ten years, and if so, details thereof.

- 11. Those who had applied for the post in response to the earlier vacancy circular dated 15/04/2011 and advertisement in the 30/4/2011-06/05/2011 issue of Employment News need not apply again as their earlier applications will be considered.
- 12. Applications received after the closing date or without the prescribed documents/information will not be considered.

(Hindi version follows)

Yours faithfully,

Encl: As above

(Madhukar Sood) Under Secretary to the Government of India Tele No.23766236

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBER (HYDRO), CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

Overall hydro power development in the country; concurrence of hydro-electric schemes; integrated planning for utilization of water resources; assessment of hydro potential; assistance to States on investigation and project report preparation; construction & investigation monitoring of hydro projects and suggesting remedial measures to problems involved; updating, development & evaluation of hydro technologies; environmental aspects of hydro projects; quality assurance plans & standardisation, design and engineering of hydro projects; renovation, modernisation & uprating of hydro stations; co-operation with neighbouring countries of Nepal, Bhutan and Myanmar for development of water resources for mutual benefits; etc.

Application for the post of Member (Hydro) in the Central Electricity Authority PART - 1

CURRICULAM VITAE PROFORMA

1	Name and Address including		
	Telephone Numbers	Warehaller A	
	(in Block Letters)		
2	Date of Birth		
	(in Christian Era)		The state of the s
3	Date of retirement under Central/		i i
	State Government/ Parent		
	Organisation Rules	and the second of the second o	
4	Education Rules		
4	Educational Qualifications		
		olizani over di la cida di	
5	Whether Educational and other		
	qualifications required for the post		
	are satisfied. (If any qualification		
	has been treated as equivalent to		
	the one prescribed in the Date		
	the one prescribed in the Rules,		
	state the authority for the same)		
		Qualifications/Experience	Qualifications/Experience
	•	required	possessed by the effect
		10quil cq	possessed by the officer
		(1)	
		(2)	de la companya de la
6	Please State electric to the time	(3)	
9	Please State clearly whether in the		
	light of entries made by you above,		
	you meet the requirement of the		
	post		

 Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

	1	Basic pay	(in detail)
			(11111111111111111111111111111111111111

- 8. Nature of present employment i.e.
 Ad-hoc or Temporary or on Contract basis
 or Permanent
- In case the present employment is held
 On deputation/contract basis, please state
 - a) the date of initial appointment
 - b) period of appointment on deputation/ Contract
 - c) name of the parent office/organization to which you belong

10 Additional details about present employment

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

- a) Central Govt.
- b) State Govt.
- c) Autonomous Organisation
- d) Government Undertaking
- e) Universities/ IITs/ IIMs
- f) Others
- 11. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn
- Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).

14. Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and (iv) any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae which are duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the candidate Address: Telephone/Mobile No: Fax No:

PART-II

(Name and address of the Office forwarding the application)

Refere	ence No Date :
ertifie	ed that:-
(a)	no vigilance case/disciplinary proceedings are pending or contemplated against the above mentioned officer;
(b)	no penalty has been imposed on the applicant in the last ten years (If any penalty has been imposed on the applicant please give details);
(c)	no penalty is in operation against the applicant as on date (If any penalty is in operation against the applicant, please give details)
	Signature
(Ti	ne Part-II of the application must be signed by a Competent Authority not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India)



सं0 ए-35018/1/2011-प्रशा.1 भारत सरकार विद्यत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली-110001 दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519 तार-इनरपावर

दिनांक 🗘 सितम्बर, 2011

प्रति

- (1)भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- (2)अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।
- (3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
- (4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
- (5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
- (6) सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
- (7) अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
- (8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (हाइड्रो) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में ।

महोदय,

मुझे प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सदस्य (हाइड्रो) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिसम्बर 15/4/2011 की रिक्त सं.ए.350/8/1/2011-प्रशा. I परिचालित करने का निदेश हुआ है । । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियम, 2005 में वर्णित प्रावधानों से संबंधित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे ।

- 2. ऊपर उल्लिखित नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो-
- (क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्षों के लिए नियमित आधार पर रू0 18400-500-22400(संशोधन पूर्व) [रू0 37400-67,000+रू0 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद या उच्च पद अथवा वेतनमान;

अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

- (ख) व्यक्ति को विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव होना भी आवश्यक है।
- 3. इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष (आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को) होगी ।
- 4. अब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (हाइड्रो) के पद को पुनःपरिचालित करने का निर्णय लिया गया है और उपरोक्त पैरा 2 और 3 में वर्णित पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, आवेदन मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा भी प्रस्तुत किए जा राकते हैं जिन्होंने पैरा 2(बी) के अनुसार अपेक्षित क्षेत्रीय अनुभव और उपरोक्त पैरा 3 में वर्णनानुसार 58 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के साथ ग्रुप ' क' में कुल 30 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 3 वर्ष की अर्हता सेवाएँ की हैं ।
- ii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद का वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के समान 22,400-525-24,500 रुपए (संशोधन-पूर्व) [(67,000-79,000 रूपए (संशोधत)] है । इस पद के पदधारी केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के हकदार होंगे ।
- 5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जा रही हैं।
- 6. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70(5) में यह प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य,

अर्थशास्त्र अथवा औद्योगिक मामलों से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम-से-कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात-

- (क) उत्पादक केन्द्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
- (घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त ।
- 7. सदस्य (हाइड्रो), सीईए के पद से जुड़े कार्य एवं उत्तरदायित्व अनुबंध-1 में दिए गए हैं।
- 8. सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित समयाविध तक पद पर बने रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अविध के लिए होगी जो कि पदधारी की अधिवर्षिता की आयु तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी रूप से आमेलन हेतु पात्र नहीं होंगे ।
- 9. इन पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।
- 10. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपर्युक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ, संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-।।) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि यह रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001. के पास पहुंच जाए-
 - (i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।
 - (ii) सतर्कता संबंधी प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो भारत सरकार में उप सचिव के रैंक से नीचे का न हो)।
 - (iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा ।
- 11. जिन्होंने दिनांक 15/4/2011 के पूर्व रिक्ति पत्र तथा 30/4/2011 6/5/2011 के रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रत्युत्तर में इस पद के लिए आवेदन किया था उन्हें अब आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पहले के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा ।

12. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

स्ट्रिकेर (मधुकर सूद) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाषः 23766236

सदस्य (हाइड्रो), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

देश में समग्र जल विद्युत विकास; जल विद्युत स्कीमों की सहमति; जल संसाधनों के उपयोग हेतु एकीकृत आयोजना; जल विद्युत क्षमता का मूल्यांकन; अन्वेषण एवं परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में राज्यों की सहायता करना; जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं अन्वेषण प्रबोधन और इसमें जुड़ी समस्याओं के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना; जल विद्युत प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करना, विकास एवं मूल्यांकन; जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू, गुणवत्ता आश्वासन योजना एवं मानकीकरण; जल विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं इंजीनियरिंग; जल विद्युत स्टेशनों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन; जल संसाधनों के विकास के लिए पारस्परिक लाभ आदि हेतु नेपाल, भूटान और म्यांमार पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आदि।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (हार्ड्डिड्र) के पद हेतु आवेदन-पत्र

भाग-।

जीवन वृत्त

	C			
1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित				
2. जन्म तिथि ् (ईस्वीं सन् में)			P	·
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन				
नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि				And the second s
4. शैक्षिक योग्यता				
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं				
अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। (यदि				
किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में				
वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष				
माना गया है तो उसके प्राधिकारी का	थारियत	श्रीधिक	अधिकारी	की
उल्लेख करें)	योग्यताएं/ अनु		योग्यताएं/अन्	
उल्लंख परि	(1)	1414	91.4(115/01)	3114
			-	
	(2)			
	(3)			
				,
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक्त प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंधी				
अपेक्षा पूरी करते हैं।		4		मक उत्तरमणीय
7. कालानुक्रम में रोज़गार के ब्यौरे । यदि	र नाच स्थान उ	अपयाप्त हं,	वा अवस स	प्रक स्पःप्रभागित
कागज संलग्न करें।				
कार्यालय/संस्थान/संगठन धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार में)
			नूल पत्त	((4((((-1)
				Television of the second secon

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी	
या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर	
है तो कृपया बताएं-	
8	
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथिः	
ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि	
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे	
कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं	
(संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम	
दर्शाएं)	
क) केंद्र सरकार	
ख) राज्य सरकार	
ग) स्वायत्तशासी संगठन	
घ) सरकारी उपक्रम	
ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय	
प्रबंधन संस्थान	
च) अन्य	
4) 014	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो	
वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन	
पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप	
पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें।	
(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) अतिरिक्त शैक्षिक	
योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति	
परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक	
अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं)	
(नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज	
संलग्न करें)	
Will 1 47 Y	

14. टिप्पणियां (आवेदक (।) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाओं (॥) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन(॥)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) किसी अन्य सूचना के संबंध में जानकारी दे सकते हैं।)	
(नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज़ संलग्न करें)	P

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का, पद के चयन के समय, चयन समिति के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर पताः दूरभाष/मोबाइल नं0 फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-।

(आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	(आवेदन-	पत्र	अग्रेषित	करने	वाले	कार्यालय	का	नाम	एवं	पता
---	---------	------	----------	------	------	----------	----	-----	-----	-----

संदर्भ सं0	तारीख
प्रमाणित किया जाता है कि-	
(क) उपर उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता माम लंबित अथवा विचारणीय नहीं है;	ला/अनुशासनात्मक कार्यवाही
(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई ग शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);	ई है (यदि आवेदक पर कोई
(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालना विरुद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)	धीन नहीं है (यदि आवेदक के
	हस्ताक्षर. नाम. पदनाम. कार्यालय.
(आवेदन-पत्र का भाग-॥ सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है	